(क) उन एजेंसियों का ब्यौरा क्या हैं जो महाराष्ट्र व दिल्ली से बेरोजगार व्यक्तियों को विदेशों में नौकरी के लिये भेजती हैं;

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान उक्त एजेंसियों द्वारा विदेश भेजे गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि गत वर्षो में एजेंसियों द्वारा काफी व्यक्ति फर्जी तौर पर विदेश भेजे गए हैं;

(घ) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;और

(ड़) सरकार ने ऐसी एजेंसियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की हैं?

**श्रम मंत्री** (**डा.सत्यनारायण जटिया**): (क) उत्प्रवास अधिनियम,1983 के अंतर्गत अभी तक पूरे देश में 3,109 भर्ती एजेन्टों की पंजीकृत किया गया है । इनमें से,महाराष्ट्र और दिल्ली राज्य में क्रमशः 1,556 और 563 एजेन्टों को पंजीकृत किया गया है । वे सभी एजेन्ट जो इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है और जो अभी भी एक वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक हैं उनसे अपेक्षा है कि वे विदेशी नियोजकों से प्राप्त मांग के आधार पर ही कुछ कामगारों को विदेश में संविदात्मक नियोजन हेतु भेजें । चूंकि अंतर्ग्रस्त एजेन्टों की संख्या बहुत है अतः कार्य के लिए कामगारों को भेजने के काम में लगे प्रत्येक एजेन्ट का ब्यौरा दे पाना बहुत कठिन हैं ।

(ख) पिछले 3 वर्षो के दौरान जिन व्यक्तियों को विदेश में कार्य के लिए उठावास अनुमति प्रदान की गयी,उनकी संख्या निम्रानुसार हैं:-

| वर्ष | कार्य के लिए विदेश भेजे गए कामगारों की संख्या |
|---|---|
| 1995 | 4,15,334 |
| 1996 | 4,14,214 |
| 1997 | 4,16,424 |

इनमें से अधिकांश कामगारों को मुंबई,दिल्ली,चेन्नई,कोचीन और तिरूपावनंतपुरम में स्थित एजेसियों द्वारा भर्ती किया गया तथा कार्य के लिए विदेश भेजा गया था ।

(ग) से (ड़) सरकार को भर्ती करने वाले एजेन्टों के विरूद्व कुछ छिट-पुट शिकायतें प्राप्त होती हैं । शिकायतों से संबंधित आरोपों में अधिक सेवा प्रभार वसूल किया जाना,उन्हें उन कार्यो,जिनके लिए उन्हें भर्ती किया गया था ,के अलावा अन्य कार्यो के लिए भेजा जाना,भर्ती के समय स्थानीय एजेन्ट द्वारा वचन दिए गए के अनुसार वेतन की अदायगी न किया जाना,तथा कामगारों को अन्य राष्ट्रों में ऐसे कार्यो के लिए भेजा जाना जो वास्तव में होते ही नहीं हैं । जब कभी भी भारतीय मिशनों अथवा प्रभावित व्यक्तियों द्वारा शिकायतों के बारे में सरकार को सूचना दी जाती है,स्थानीय भर्ती एजेन्टों के लिए निदेशों के माध्यम से कामगारों की शिकायतों को निपटाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है । यदि शिकायत का निपटान नहीं हो पाता जब पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलम्बन/रद्द करने की कार्रवाई की जाती है । कार्य दिवस वाले प्रत्येक मंगलवार तथा शुक्रवार को सार्वजनिक सुनवाई का भी आयोजन किया जाता है जिसमें शिकायत करने वालों तथा भर्ती एजेन्टों दोनों को ही बुलाया जाता है । अधिकांश मामलों में प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतों को ऐसी सुनवाइयों के माध्यम से निपटान का दिया जाता है ।

**श्रम कानूनों का उल्लंघन**

1616.**श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच हैं कि राजधानी दिल्ली सहित पूरे भारत में श्रम कानूनों की प्रति दिन धज्जियां उड़ती रहती हैं तथा मजदूरों की कानूनी सहायता के लिए कोई इंतजाम नहीं हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि आज अधिकतर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पाती हैं;और

(ग)यदि हां,तो क्या श्रम –कानूनों के अन्तर्गत अपने अधिकारी और न्यूनतम मजदरी से वंचित मजदूरों की समस्याओं के निपटान हेतु सरकार कोई व्यवस्था करेगी ?

**श्रम मंत्री** (**डा.सत्यनारायण जटिया**:) (क) से (ग) अपने-अपने क्षेत्रों में श्रम विधान के प्रवर्तन हेतु केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तन तंत्र का गठन किया गया है । श्रम विधान के उल्लंघन का मामला संबद्व प्रवर्तन एजेन्सी द्वारा कानून के अनुसार निपटाया जाता है । किसी भी प्रकार की कमी का पता लगाने तथा उस संबंध में उपचारी कार्रवाई करने के लिए श्रम विधान के प्रवर्तन की भी समय-समय पर समीक्षा की जाती हैं।

**Job Seekers hi Gujarat**

1617. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of LABOUR be pleased to state: